दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES रुपये TEN RUPEES

(14)

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R 682-PBR/17 प्रकरण क............/2017

जमुनाप्रसाद कुशवाह आयु वयस्क,

आ0 स्व0 श्री रामरतन, निवासी–शिव मंदिर के पास,

खुशीपुरा, चांदबड़ भोपाल द्वारा मुख्तारआम

लालचंद कुशवाह आ0 जमुनाप्रसाद कुशवाह

आयु वयस्क, निवासी– शिव मंदिर के पास,

खुशीपुरा, चांदबड़ भोपाल म.प्र. --- निगरानीकर्ता

सुनील सिंह जादौन ... आज दि. 17.2.17 को ... स्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमति भागवती बाई पत्नी हरिराम
2. रमेशचंद आ0 हरिराम
3. बलीराम आ0 हरिराम
4. सीताराम आ0 हरिराम
5. कुमारी आशा बाई पुत्री हरिराम
6. आनंदी बाई पुत्री श्री रामरतन

क्रमांक 1 लगायत 6 आयु वयस्क

क्रमांक 1 लगायत 6 निवासीगण–शिवमंदिर

के पास, खुशीपुरा, चांदबड़ भोपाल ---- उत्तरदातागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल के द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अपील/14–15 में पारित अंतरिम आलोच्य आदेश दिनांक 19.12.2016 के विरूद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समयावधि में प्रस्तुत की जा रही हैः–

निगरानी के तथ्य

1. यह कि अपीलार्थी के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम चांदबड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल जिसका खसरा क्रमांक 32, 37, 38, 40, 41, 43, 44 रकवा

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 682-पीबीआर/2017 जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	आवेदक पक्ष अधिवक्ता श्री सुनीलसिंह जादौन उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 30-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	